ायालय तहसीलदार कोटपूतली जयपुर(राज.)

पीठासीन अधिकारी

भागीरथराम (आरटीएस)

मि.न.66 / 17 सरकार बनाम धर्मपाल दिनांक 7.9.17

निर्णय

पत्रावली पेश हुई । गैर सायल उपस्थित ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का जयसिहंपुरा ने एक रिर्पोट इस आशय कि पेश कि है कि सम्वत 2074 में वाके ग्राम करवास तहसील कोटपूतली के ख0 न0 582 रकबा 12.50 है0 किस्म जमीन गै0 मु0 नदी मेंसे 0.001है0 पर धर्मपाल पुत्र मंगल राम जाति कंजर निवासी करवास तहसील कोटपूतली जिला जयपुर ने पुख्ता मकान टीन सेड बनाकर नाजायज रूप से अतिक्रमण कर लिया है ।

रिर्पोट पटवारी दर्ज रजिस्टर कर । गैर सायलान को विधिवत LR\ACT 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस दिये गये । बाद तामिल नोटिस संलग्न किये गये । सुचनाप्रान्त गैर सायल उपस्थित आये । जबाब पेश नहीं किया और ना ही कोई साक्ष्य , सबूत पेश नहीं किये । पत्रावली में संलग्न दस्तावेज एवं पटवारी हल्का रिपोर्ट पर गौर किया तो विवेचन में पाया कि गैरसायल धर्मपाल पुत्र मंगल राम जाति कंजर निवासी करवास द्वारा वाके ग्राम करवास तहसील कोटपूतली के ख0 न0 582 / 12.50किस्म जमीन गै0 मु0 नदी मेंसे 0.001है0 पर पुख्ता मकान व टीन सेड बनाकर अतिक्रमण अवैध अतिक्रमण स्वतः ही सिद्व होता है अतः अतिक्रमि के विरूद्व कार्यवाही किया जाना उचित प्रतित होता है । अगर अतिक्रमि के विरूद्व कार्यवाही नहीं की गई तो अतिक्रमण को बढावा मिलेगा व क्षेत्र असंतोष की स्थिति उत्तन्न होगी ।

अतः धर्मपाल पुत्र मंगल राम जाति कंजर निवासी करवास तहसील कोटपूतली को वाके ग्राम करवास तहसील कोटपूतली के ख0 न0 582 / 12.50 है0,किस्म जमीन गै0 मु0 नदी मेंसे 0.001है0 पर अतिक्रमी धोषित करते हुये उक्त आराजियात पर पुख्ता मकान व टीन सेड निमार्ण को ध्वस्त किया जाकर कर भौतिक रूप से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तथा नाजायज रूप से अतिक्रमण करने के आरोप में लगान राशी 0.002का पचास गुणा 1रू अर्थ दण्ड के रूप में जुर्माना किया जाता है।

निर्णयानुसार बेदखली,पैनल्टी वसुली हेतु भू0 अ0 नि0 व पंटवारी हल्का को तहरीर जारी हो व मांग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखा कार को लिखा जावे । निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण हो कर पत्रावली बाद तकमिल दाखील दफतर होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनाक 7.9.17 को सरे इजलास सुनाया गया ।

तहसीलदार
कोटपूतली (जयपुर)

सं 2017-018 के रा० लें० ... पृष्ठ संख्या 83 पर 122 रुपये कायम किये गये ।

राजस्व लेखाकार
कोटपूतली